न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 04/ 2023
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2023/65

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री रामा पिता गंगाराम नाई निवासी घाटोल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री भेरुलाल पिता श्री कचरु नाई निवासी घाटोल, तहसील घाटोल, बांसवाडा।
2. श्री राजेश पिता श्री कचरु नाई निवासी घाटोल, तहसील घाटोल, बांसवाडा
3. श्री सुरज पिता श्री कचरु नाई निवासी घाटोल तहसील घाटोल, बांसवाडा
4. श्रीमती नाथी बेवा श्री कचरु नाई निवासी घाटोल, तहसील घाटोल, बांसवाडा
5. भूमिधारी तहसीलदार तहसील घाटोल

उपस्थित

श्री हिरालाल जैन, अधिवक्ता अपीलांट

श्री शंकरलाल निनामा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स सं 1 से 4

श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 24–06–2024

अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार घाटोल जिला बांसवाडा के न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2023 को आदेश क्रमांक राजस्व/ 2023/ 8 अन्तर्गत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किये गये आदेश के निर्णय से असन्तुष्ट, अप्रसन्न व व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील के साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:58:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंटस् को समन जारी किये गए। दिनांक 03.10.2023 को रेस्पोडेंट्स सं. 1, 3, 4 एवं दिनांक 20.10.2023 को रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से श्री शंकरलाल निनामा अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 01.02.2024 को रेस्पोडेंट सं 1 से 4 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घाटोल में दिनांक 20.03.2023 को वादी रामा पिता गंगाराम नाई ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं. 58/2022 रामा बनाम भेरुलाल व अन्य में आपसी राजीनामा हो जाने से विड्रो बाबत् प्रस्तुत किया। जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकरी घाटोल द्वारा स्वीकार किया गया एवं पत्रावली फैसल की गई। पत्रावली की प्रोसिडिंग पर रामा पिता गंगाराम नाई के हस्ताक्षर है। अपीलांट रामा पिता गंगाराम नाई ने रेस्पोडेंटगण से दिनांक 23.01.2023 को एक राजीनाम , ईकरारनामा भी सम्पादित कर दिया जिसमें विक्रय राशि प्राप्त करने व न्यायालय में चल रहे वाद या अन्य कोई कानूनी कार्यवाही नही करने संबंधी राजीनामा निष्पादित रुबरु गवाहान व अपीलांट रामा व रेस्पोडेंट्स के हस्ताक्षर किये है। उक्त राजीनामा, इकरारनामा 150/–रुपये के नोन ज्यूडिशियल के स्टाम्प पर सम्पादित किया गया।

तहसीलदार घाटोल में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2023 को अपीलांट रामा पिता गंगाराम नाई ने प्रस्तुत किया जिसमे सहखातेदार का आपसी सहमति से कृषि भूमि का बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में खतौनी वर्ष 74–77, खाता [illegible] की [illegible] (किता) 9, कुल रकबा 0.71 बीघा के बंटवारे का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना [illegible] के साथ बयान गवाह, आपसी सहमति से खातेदारी भूमि का विभाजन पत्र एव क्रमांक राजस्व/2023/8 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

04.04.2023 का तहसीलदार घाटोल द्वारा अपने हस्ताक्षर से आदेश पारित किया है, जिसमे अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के नामो से खसरो का विभाजन बंटवारा कर दिया गया।

अपील में अपीलांट ने यह कही नही दर्शाया है कि उसने पूर्व में इस प्रकार इकरार नामे व समझौतानामे इत्यादि का किसी प्रकार से उल्लेख या हवाला नही दिया है। इस प्रकार अपीलांट्स ने माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष तथ्यो को छुपाया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

दिनांक 07.06.2024 को उभय पक्षकारान की ओर से मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत बंटवारा की जानकारी अपीलांट को नही थी अपीलांट को जानकारी होने पर उसकी शिकायत श्रीमान् के यहाँ पेश की गई, जिस पर श्रीमान् द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार घाटोल को जाँच हेतु कहा गया। पटवारी गिरदावर ने मौका पर्चा बनाकर अपीलांट को बताया। अपीलांट द्वारा उसकी नकले दिनांक 21.08.2023 को प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने से व नकले दिनांक 22.08.2023 को मिलने से जानकारी होने पर यह अपील अन्दर म्याद 30 दिन में पेश की है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर अपील अन्दर म्याद होना मानकर कानूनी कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रश्नगत बंटवारा आपसी सहमति से हुआ है, बंटवारा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, बयान गवाह, विभाजन पत्र, शपथ पत्र पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उक्त बंटवारे की जानकारी अपीलांट को है। रेस्पोडेंट्स को कानूनी उलझनो में उलझाने के उद्देश्य से यह अपील पेश की गई है। अपील म्याद बाहर होने से निरस्त फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:12 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

उपस्थित अधिवक्तागणो की ओर से प्रस्तुत मुल अपील पर बहसी सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मैमो में उल्लेखित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता व 4 के पति स्व. कचरु के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 124 नया खसरा नंबर 1408 रकबा 0.0200 है., ख.नं. 1409 रकबा 0.0800है., ख.नं 4591 रकबा 0.0700है., ख.नं. 4592 रकबा 0.0800है., ख.नं. 4593 रकबा 0.0400है., ख.नं. 4594 रकबा 0.0400है., ख.नं. 4597 रकबा 0.2100है., ख.नं. 4602 रकबा 0.1300है., ख.नं 4872 रकबा 0.0400है. कुल सर्वे नम्बरान 9 कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर वाके राजस्व गॉव घाटोल, पटवार हल्का घाटोल, तहसील घाटोल जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है तथा उक्त कुल सर्वे नम्बरान की कृषि भूमि में प्रार्थी अपीलांट का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 का सयुक्त रुप से 1/2 हक, हित व हिस्सा निहित है।

प्रार्थी अपीलांट व स्व. कचरु उक्त कुल कृषि भूमि पर सयुक्त रुप से खातेदार थे। स्व. कचरु की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट्स अप्रार्थीगण जो स्व. कचरु के उत्तराधिकारी व वारिसान है ने उक्त कृषि भूमि में अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु नामान्तरकरण खुलवाने कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार घाटोल के वहॉ कार्यवाही करने हेतु प्रार्थी अपीलांट का शपथ पत्र मांगा और उस शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा दिये और प्रार्थी को [illegible] वाला राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अप्रार्थी रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 ने आपसी [illegible] बताकर उक्त कुल भूमि का बंटवारा दिनांक 04.04.2023 को करा दिया, जिसकी जानकारी प्रार्थी अपीलांट को नही थी और रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 ने अपने नाम उक्त कृषि भूमि में से सर्वे नंबरान 4592,4591 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

4597 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज करा दी और प्रार्थी अपीलांट के नाम सर्वे नंबरान 4593 व 4602 की कुल रकबा 0.2100 हैक्टेयर भूमि बंटवारे में आना बताकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा दी तथा शेष 3 सर्वे नंबरान 1408, 1409 व 4872 की कुल रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि पहले की तरह सयुक्त खातेदारी में दर्ज है, उसे यथावत रखी गई है, जबकि उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 का 1/2 – 1/2 हक, हित व हिस्सा यानि बराबर बराबर अधिकार है।

तहसीलदार साहब घाटोल ने पटवारी व गिरदावर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर पक्षकाराने की आपसी सहमति से विभाजन करना बताकर पक्षकारान् के खाते की कुल भूमि का बंटवारा बराबर एवं किस्म अनुसार नही किया है। प्रकरण में तहसीलदार साहब ने मौके पर आकर स्वयं कोई विभाजन नही किया है। भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा तैयार किए गए विभाजन पत्र पर उनके द्वारा कराए गए हस्ताक्षर को मानकर विभाजन की कार्यवाही की है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। तहसीलदार साहब ने पत्रावली में जो बयान लेना बताया है वह भी पूर्व में प्रिंटेड किए हुए है और श्याही की इबारत भी तहसीलदार साहब द्वारा नही लिखी गई है। पत्रावली में दिया गया आदेश न्यायिक सिद्धान्त, कानून के प्रावधान, नेचरल जस्टिस व साम्या के सिद्धान्तो के विपरीत है। अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलगत प्रकरण में दिनांक 04.04.2023 को किया गया आपसी सहमति से बंटवारा आदेश अपास्त कर निरस्त फरमावे।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने कथन के समर्थन में निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए –

2014 (1) आरआरटी. 258 (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर) अमृत लाल (अमृता) व अन्य बनाम भगवान लाल (भगा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

2011–12 (Supp.) आरआरटी 698 (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर) सोनी व अन्य बनाम गुल्ला व अन्य

2016–17 (Supp.) आरआरटी 711 (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर) गोविन्द सिंह बनाम रणजीत सिंह व अन्य

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने जवाब में उल्लेखित तथ्यो को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घाटोल में दिनांक 20.03.2023 को वादी रामा पिता गंगाराम नाई ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं. 58/2022 रामा बनाम भेरुलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी एक्ट में आपसी राजीनामा हो जाने से विड्रो बाबत् प्रस्तुत किया। जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकरी घाटोल द्वारा स्वीकार किया गया एवं पत्रावली फैसल की गई। पत्रावली की प्रोसिडिंग पर रामा पिता गंगाराम नाई के हस्ताक्षर है। अपीलांट रामा पिता गंगाराम नाई ने रेस्पोडेंटगण से दिनांक 23.01.2023 को एक राजीनामा , ईकरारनामा भी सम्पादित कर दिया जिसमें विक्रय राशि प्राप्त करने व न्यायालय में चल रहे वाद या अन्य कोई कानूनी कार्यवाही नही करने संबंधी राजीनामा निष्पादित रुबरु गवाहान व अपीलांट रामा व रेस्पोडेंट्स के हस्ताक्षर किये है। उक्त राजीनामा, इकरारनामा 150/–रुपये के नोन ज्यूडिशियल के स्टाम्प पर सम्पादित किया गया। आपसी राजीनामे, इकरारनामे के पश्चात् तहसीलदार घाटोल में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2023 को अपीलांट रामा पिता गंगाराम नाई ने प्रस्तुत किया जिसमे सहखातेदार का आपसी सहमति से कृषि भूमि का बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में खतौनी वर्ष 74–77, [illegible] (किता) 9, कुल रकबा 0.71 बीघा के बंटवारे का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ बयान गवाह, आपसी सहमति से खातेदारी भूमि का विभाजन पत्र एवं क्रमांक राजस्व/2023/8 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

04.04.2023 का तहसीलदार घाटोल द्वारा अपने हस्ताक्षर से आदेश पारित किया है, जिसमे अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के नामो से खसरो का विभाजन बंटवारा किया गया है। इस प्रकार उक्त बंटवारा आपसी सहमति से हुआ है। रेस्पोडेंट्स को कानूनी उलझनो के में उलझाने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की गई है।अपील में अपीलांट ने यह कही नही दर्शाया है कि उसने पूर्व में इस प्रकार इकरार नामे व समझौतानामे इत्यादि का किसी प्रकार से उल्लेख या हवाला नही दिया है। इस प्रकार अपीलांट्स ने माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष तथ्यो को छुपाया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि सह खातेदारो द्वारा दिनांक 31.03.2023 को आपसी सहमति से कृषि भूमि का बंटवारा बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के तहत प्रस्तुत करने पर तहसीलदार घाटोल द्वारा सह खातेदारो के बयान दर्ज कर एवं आपसी सहमति से खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र अनुसार नियमानुसार आदेश क्रमांक राजस्व/ 2023/ 8 दिनांक 04.04.2023 से बंटवारा आदेश जारी किए है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा अन्तर्गत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार घाटोल के समक्ष प्रस्तुत होकर करवाया है, जिससे सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर /अंगुठा निशानी अंकित है। अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में यह वर्णित किया है कि उसके द्वारा शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किऐ है। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि उसकी जानकारी के बिना बाले बाले हस्ताक्षर करवाऐ गऐ, पोषणीय नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:12 IST
Reason: SelfAttested

अपील में वर्णित खसरा नबरान् के संबध में अपीलांट द्वारा दिनांक 15.12.2022 को वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट वाद संख्या 58/2022 प्रस्तुत किया। उक्त वाद

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ राजीनामा हो जाने से दिनांक 20.03.2023 को विथ ड्रॉ कर लिया गया। तदुपरांत दिनांक 31.03.2023 को अपीलांट एवं रेस्पोडेंट द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा हेतु तहसीलदार घाटोल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं दिनांक 04.04.2023 को तहसीलदार द्वारा बंटवारे का आदेश पारित किया गया। इससे जाहिर होता है कि राजीनामा होने के उपरान्त अपीलांट की जानकारी एवं लिखित सहमति से तहसीलदार घाटोल के समक्ष बंटवारा करवाया गया है।

वकील अपीलांट का कथन कि बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा दोनो पक्षकारान् के समक्ष तैयार नही किया। बंटवारे की मूल पत्रावली में विभाजन पत्र एवं नक्शा ट्रेस पर तहसीलदार घाटोल एवं पक्षकारान् के हस्ताक्षर/ अंगुठा निशानी है जिससे जाहिर होता है कि बंटवारा स्वयं तहसीलदार द्वारा पक्षकारान् की उपस्थिति में किया गया है।

तहसीलदार घाटोल के समक्ष सह खातेदारो ने आपसी सहमति से बंटवारा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आपसी सहमति से खातेदारी भूमि का विभाजन पत्र संलग्न है जिस पर समस्त खातेदारो के हस्ताक्षर/ अंगुठा निशानी है। पत्रावली में बयान भी लेखबद्ध है जिसमे बंटवारे पर सहमति जाहिर की गई है। तहसीलदार घाटोल द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/ 2023/ 8 दिनांक 04.04.2023 पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र उनके कथन एवं बंटवारा फेहरिस्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत नियमानुसार विभाजन स्वीकृत किया है। जो कि विधिसम्म्त है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत "Suit for Partition" के संबंध में है, प्रश्नगत बंटवारा सह खातेदारो की आपसी सहमति से हुआ है, अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। अपील अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रति के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय आज दिनांक 24–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:12 IST
Reason: SelfAttested